



HARYANA GOVERNMENT

ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT

OF THE

HARYANA JAILS DEPARTMENT

FOR THE

YEAR 2014-15

REVIEW OF THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF THE HARYANA JAILS DEPARTMENT FOR THE YEAR 2014-15.

In the year 2014-15 following Institutions functioned under the Administrative control of the Jails Department: -

1.	Central Jails Ambala, Hisar I & Hisar II	03
2.	District Jails Rohtak, Gurgaon, Karnal, Kurukshetra, Bhiwani, Sirsa, Jind, Sonapat, Rewari, Kaithal, Yamunanagar, Faridabad, Narnaul, Palwal, Panipat and Jhajjar	16
3.	Jail Training School, Karnal	01
4.	Office of the District Probation Officers Ambala, Hisar, Rohtak, Karnal, Gurgaon, Jind, Bhiwani and Sirsa.	08
	TOTAL	28

2. The total number of prisoners of all categories in jails of the State as on 01.01.2014 were 17,644. During the calendar year 2014, 54,528 prisoners were admitted in the jails at different point of time. At the end of the Calendar year (31st December, 2014) 18,642 prisoners were lodged in all the jails in Haryana.

3. The number of convicts in Jails were 7,020 as on 01.01.2014. During the calendar year 2014, 5195 more prisoners who were convicted either by the courts in Haryana or came on transfer from other places were admitted in the jails in Haryana. During the calendar year 2014, 4698 convicts were released from jails and 7,517 convicts remain lodged in jails at the end of the calendar year (31st December, 2014). The number of civil prisoners as on 31-12-14 was 16.

4 The number of undertrial prisoners as on 01.01.2014 was 10,627. During the calendar year 2014, 50320 more undertrial prisoners were admitted in Jails. Out of total 60847 undertrial prisoners, 49,723 were released on bail/appeal/acquittal etc. A total of 11,124 undertrial prisoners remained lodged in jails at the end of the year (31st December, 2014).

5 Number of women prisoners in Jails of Haryana as on 01.01.2014 was 830. During the calendar year 2014, 1,707 more women prisoners were admitted in Jails (direct or by transfer from other Jails). Out of them 1,753 women

prisoners were either released or transferred to other Jails. Therefore, number of women prisoners in all the jails at the end of the year was 784 (31st December, 2014). 48 children were lodged along with their mothers as on 31-12-2014.

6. During the year 2014-15 a sum of Rs. 16, 06, 800/- were spent on Security management, diet and health care etc. of the prisoners. Thus per capita annual average expenditure was Rs. 86,113/- (Rs. 235.92 per prisoner per day). During the previous year 2013-14 a sum of Rs. 1, 28, 64, 42, 000/- were spent on the prisoners. Thus per capita annual average expenditure was Rs. 72,865/- (Rs. 199.63 per prisoner per day). During this financial year 2014-2015 a sum of Rs. 24, 93, 55, 519/- were spent on the diet of the prisoners. The food expenditure of per capita annual expenditure was Rs. 13, 376/- (Rs. 36.64 per prisoner per day).

7. During the year 2014-15, health of the prisoners remained satisfactory and due attention was paid towards the sanitation facilities inside the Jails. T.B patients were isolated and kept in different parts of the jail hospitals. They were given the regular medical treatment. Under the D.O.T. Scheme. In order to improve the general sanitation, proper Indian and English latrine seats with under ground sewerage system were provided for the prisoners in all the jails of Haryana. Ceiling Fans were provided in the barracks for the prisoners and most of the jails have been connected with separate electricity lines. Discal Generator Sets have been provided in all the jails for emergency light arrangements.

During the year under report, the standard of discipline in the jails was satisfactory. The details of incidents of indiscipline which came to notice are as under:-

(a)	Quarrels/Brawls	—	During the year 2014-15, there were 15 Quarrel/Brawl in Jails of the State.
(b)	Hunger Strike	—	During the year 2014-15, No prisoner resorted to hunger strike.
(c)	Escape	—	During the year 2014-15, No prisoners escaped from the Jails of Haryana.
(d)	Attack	—	During the year 2014-15, there was no case of attack by the prisoners.

124 prisoners undergoing life imprisonment were released pre-maturely and 3,985 prisoners were released on parole/ furlough during the calendar year 2014. The prisoners are kept in the jails nearest to their home as far as possible. The prisoners whose conduct in jails was adjudged good and who were

otherwise eligible as per Jail Manual were awarded special remission as per the rules by the concerned Superintendent Jail.

8. For mental and physical development of the prisoners, arrangements for lectures for spiritual and physical well being of the prisoner were made. Arrangements for morning and evening prayers, prisoner meetings, media programmes, indoor and outdoor games and practice of yoga had also been made. 857 lectures, 70 dramas and 179 cultural programmes were organized in the jails during the year under report. For the recreation of prisoners, television sets with cable connection have also been allowed in the Jails.

9. During the year 2014-15, 334 prison officers were imparted training in various Institutions.

10. The prisoners were provided the facilities for purchasing commodities at reasonable rates for their personal use such as Sugar, tea, gur, Surf, Biscuits, Dhoop, Cold Drinks, Milk, Underclothes, Toiletries, Namkeen, Dahi, Dalia, Shoes, Chappals, Powder, Pickle, Jalebi, Samosa, Gulab Jamun, Pakora etc. from the canteen opened in the Jails. These canteens have been opened in all the Central Jails and District Jails and are being run as per Jail Canteen Management Rules 1965. New Software is being installed at all the jails to run Cash Less System in the Canteen w.e.f. 1.4.2015.

11. The Panchayat of the prisoners appointed in various jails gave full co-operation to the officers in distribution of ration and other goods, running of canteen, cultural activities, education, yoga etc. The prisoners were given training in industrial and agricultural practices according to their choice by arranging training programme from time to time. With the assistance of the Technical Education Department, vocational training programmes in 16 jails have been started in two or three trades.

(P.K. DAS, IAS)
Additional Chief Secretary to Govt. Haryana,
Jails Department.

CRITIQUE

By the end of the year i.e. 31.12.2014 there was a provision for accommodation of 16,647 prisoners in Haryana, where as the number of prisoners at the end of the year as on 31-12-2014 were 18,642. During this year the position of accommodation/capacity as compared to the number of inmates was satisfactory. At present authorized accommodation of prison inmates is 16,647 which is sufficient to accommodate present prison population. However construction of a new jail at Panipat has been started to accommodate about 1000 more prisoners.

2. In the year 2014-15, No prisoner escaped from the Jails of Haryana. There was 15 cases of Quarrels/Scuffle in Jails of the State. No prisoner was reported to have resorted to hunger strike during the year. There was no case of attack by the prisoners during the Calendar Year.

3. In the year Calendar Year 2014, 124 life term prisoners were released prematurely. Keeping in view the welfare and family circumstances of the prisoners 3,985 prisoners were released on Parole/Furlough.

(P.K. DAS, IAS)

Additional Chief Secretary to Govt. Haryana,
Jails Department.

हरियाणा जेल विभाग की वर्ष 2014-15 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा वर्ष 2014-15 में निम्नलिखित संस्थाएँ जेल विभाग के अधीन कार्यरत रही :-

1. केन्द्रीय जेल अम्बाला, हिसार I एवं हिसार II	03
2. जिला जेल रोहतक, करनाल, गुडगांव, भिवानी, सिरसा, जीन्द, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, रिवाड़ी, नारनौल, कैथल, यमुनानगर, फरीदाबाद, पलवल, पानीपत एवं झज्जर	16
3. जेल ट्रेनिंग स्कूल, करनाल	01
4. जिला परिवीक्षा अधिकारी सिरसा, भिवानी, करनाल, गुडगांव, अम्बाला, जीन्द, रोहतक, हिसार।	08

कुल 28

2. राज्य की सभी जेलों में सभी श्रेणियों के बन्दीयों की संख्या 01.01.2014 को 17644 रहीं। कैलेण्डर वर्ष 2014 के दौरान 54528 बन्दी विभिन्न समय पर जेलों में दाखिल हुए। वर्ष 2014 के अन्त में 31.12.2014 को हरियाणा राज्य की जेलों में 18642 बन्दी शेष रह गये।

3. कैदी बन्दीयों की संख्या 01.01.2014 को 7020 थी। कैलेण्डर वर्ष 2014 में 5195 कैदी बन्दी न्यायालयों से सजा मिलने पर या दूसरे स्थानों से बदल कर हरियाणा की जेलों में दाखिल किये गये। कैलेण्डर वर्ष 2014 के दौरान 4698 बन्दी जेलों से छोड़े गये। इस प्रकार कैलेण्डर वर्ष 2014 के अन्त में दिनांक 31.12.2014 को कुल 7517 कैदी बन्दी जेलों में रह गये। दिनांक 31.12.2014 को 16 सिविल बन्दी थे।

4. विचाराधीन बन्दीयों की संख्या 01.01.2014 को 10,627 थी। इस वर्ष 2014 में जेलों में 50320 विचाराधीन बन्दी दाखिल हुये। कुल 60847 विचाराधीन बन्दीयों में से 49723 विचाराधीन बन्दी बेल/अपील/बरी अन्य पर रिहा किये गये और वर्ष 2014 के अन्त में 31.12.2014 को 11,124 विचाराधीन बन्दी जेल में शेष रहे गये।

5. हरियाणा की जेलों में दिनांक 01.01.14 को महिला बन्दीयों की संख्या 830 थी वर्ष 2014 के दौरान 1707 महिला बन्दी जेलों में सीधे या दूसरे राज्यों की जेलों से बदल कर आये। 1753 महिला बन्दीयों को रिहा किया या दूसरे राज्यों की जेलों में भेजा गया इसलिये वर्ष 2014 के अन्त में

31.12.2014 को महिला बन्धियों की संख्या 784 थी। दिनांक 31.12.2014 को 48 बच्चे जेलों में अपनी माता के साथ रखे हुये थे।

6. बन्धियों की सुरक्षा, खाने पीने तथा अन्य के सम्बन्ध में वर्ष भर वर्ष 2014-15 में 16,06,800.00/- रुपये खर्च किये गये। इस प्रकार वर्ष भर में प्रति बन्दी औसतन खर्चा 86,113/- रुपये हुआ (235.92 रुपये प्रति बन्दी प्रति दिन)। बन्धियों की सुरक्षा, खाने पीने तथा अन्य के सम्बन्ध में पूर्व वर्ष भर 2013-14 में 1,28,64,42,000/- रुपये खर्च किये गये। इस प्रकार वर्ष भर में प्रति बन्दी औसतन खर्चा 72865/- रुपये हुआ (199 रुपये प्रति बन्दी प्रतिदिन)। वर्ष 2014-15 में बन्धियों के खाने पर 24,93,55,519/- रुपये खर्च किये गये। इस प्रकार वर्ष भर में प्रति बन्दी औसतन खर्चा 13376/- रुपये हुआ (36 रुपये प्रति बन्दी प्रति दिन)।

7. बन्धियों का स्वास्थ्य 2014-15 वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा तथा जेलों में सफाई व शौचालय सुविधायों की ओर विशेष ध्यान दिया गया तपेदिक के रोगियों को जेल के हस्पतालों में अलग रखा गया तथा उनके लिये उचित चिकित्सा का प्रबन्ध है। जेलों में सामान्य स्वच्छता में सुधार हेतु बन्धियों के लिये भूमिगत सीवरेज तथा शौचालयों का प्रबन्ध है और सभी शौचालयों में देसी व अंग्रेजी शौचालय सीटें लगी हुई हैं। बीमारियों से बचने के लिये विभिन्न साधन जुटाये गये व सफाई का विशेष ध्यान रखा गया। बन्धियों की बैरकों में बिजली के पंखे लगाये हुये हैं। अधिकतर जेलों विशेष बिजली लाईनों से जोड़ी गई हैं और आपात व्यवस्था हेतु प्रत्येक जेल में जैनेरेटर सेटों की व्यवस्था भी की गई है। वर्ष के दौरान जेलों में अनुशासन का स्तर सन्तोषजनक रहा। बन्धियों की अनुशासनहीनता का ब्यौरा, निम्न प्रकार से है:-

(क)	झगड़े के मामले	-	वर्ष 2014-15 भर में राज्य की सभी जेलों पर 15 उपद्रव हुये।
(ख)	मूख हड़ताल	-	वर्ष 2014-15 में हरियाणा की जेलों में किसी बन्दी ने मूख हड़ताल नहीं की।
(ग)	फरारी	-	वर्ष 2014-15 में हरियाणा की जेलों से कोई बन्दी फरार नहीं हुआ।
(घ)	आक्रमण	-	वर्ष 2014-15 में बन्धियों द्वारा कोई आक्रमण नहीं हुआ।

कैलेण्डर वर्ष 2014 में 124 आजीवन कारावास बन्धियों को समय से पूर्व रिहा किया गया तथा 3985 बन्धियों को इस वर्ष के दौरान पैरोल/फलों पर रिहा किया गया। जहां तक संभव हो सका बन्धियों को उनके घर के नजदीक की जेलों में रखा जाता है। जिन बन्धियों ने अच्छा कार्य किया तथा जो बन्दी जेल मैनुअल के अनुसार माफी के पात्र थे उन्हें सम्बन्धित जेल अधीक्षक द्वारा विशेष माफी नियमानुसार दी गई। वर्ष 2014 में महामहिम राज्यपाल एवं राज्य सरकार द्वारा भी बन्धियों को सजा में विशेष छूट दी गई।

8. मानसिक तथा शारीरिक विकास के लिये आध्यात्मिक और शारीरिक विषयों पर प्रवचन दिलवाने का प्रबन्ध करवाया गया। प्रातः व सांय काल प्रार्थना सभाओं, बन्दी सभाओं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलों के अतिरिक्त योगाभ्यास का प्रबन्ध भी किया गया। इस वर्ष 857 व्याख्यान, 70 झ्रमें और 179 सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गये। बन्धियों के मनोरंजन के लिये सभी जेलों में टेलीविजन केंबल सहित सैट की भी अनुमति प्रदान की गई।

9. वर्ष 2014-15 में 334 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलवाया गया।

10. बन्धियों को उचित मूल्य पर जेलों की कैन्टीनों में दैनिक उपभोग की वस्तुओं जैसे चीनी, चाय, गुड़, बिरकूट, घूप, दूध, आन्डरवीयर व बनियान, प्रसाधन सामग्री, कोल्ड ड्रिन्क, जूते, चपपल, नमकीन, आचार,इत्यादि आदि की सुविधा दी गई है। ये कैन्टीन सभी केन्द्रीय कारागारों और जिला कारागारों में हैं और यह कैन्टीनें जेल कैन्टीन मैनेजमेंट, नियम 1965 अनुसार चलाई जा रही हैं। सभी जेलों में कैंश लैस कैन्टीन की सुविधा नये सौफ्टवेयर के साथ शुरू करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है जिसे दिनांक 1/4/2015 से लागू किया जायेगा।

11. भिन्न भिन्न जेलों में नियुक्त की गई बन्धियों की पंचायतों ने राशन और खाने के वितरण में अधिकारियों को पूर्ण सहयोग दिया। समय-2 पर बन्धियों को उनकी रुचि के अनुसार उद्योग तथा आधुनिक कृषि के तरीकों का प्रशिक्षण दिया गया।

पी0के0दास, मा0प्र0से0

अतिरिक्त मुख्य सचिव, जेल विभाग, हरियाणा।

समालोचना

31-12-2014 तक हरियाणा में 16,647 बन्दियों को रखने का प्रबन्ध था जबकि वर्ष 2014 के अन्त में बन्दियों की संख्या 18642 थी। इस वर्ष जेल में अधिकृत क्षमता तथा बन्दियों की संख्या का अनुपात काफी संतोषजनक था। वर्तमान में हरियाणा राज्य की जेलों में बन्दियों की अधिकृत क्षमता 16,647 की है जोकि वर्तमान में बन्दियों की गिनती अनुसार पर्याप्त है। पानपीत में 1000 बन्दियों को रखने हेतु नई जिला जेल का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया।

वर्ष 2014-15 में जेलों से कोई बन्दी फरार नहीं हुआ। पूरे वर्ष राज्य की सभी जेलों में कोई आक्रमण का मामला नहीं हुआ। वर्ष भर में बन्दियों द्वारा आपस में 15 झगड़े हुए। पूरे वर्ष में किसी बन्दी ने मूख हड़ताल भी नहीं की।

कैलेण्डर वर्ष 2014 के दौरान, 124 बन्दियों को उनकी सजा की रिहाई की शर्तों को पूर्ण करने उपरान्त समय से पूर्व रिहा किया गया। बन्दियों की भलाई तथा पारिवारिक हित को ध्यान में रखते हुए 3,985 बन्दियों को पैरोल/फर्लो पर छोड़ा गया।

(पी0के0दास, भा0प्र0से0)

अतिरिक्त मुख्य सचिव, जेल विभाग, हरियाणा।

अध्याय-1

1. प्रस्तावना :-

जेल विभाग का 1.4.2014 से 31.3.2015 तक का कार्यभार निम्नलिखित के पास रहा:-

1. श्री यश पाल सिंगल, आई0पी0एस
1.4.2014 से 9.11.2014
2. श्री परमिन्दर राय, आई0पी0एस0
10.11.2014 से 31.3.2015

निम्नलिखित अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में उनकी सहायता की :-

1. के0के0 मिश्रा, आई0पी0एस
अपर महानिदेशक कारागार हरियाणा।
2. श्री जगजीत सिंह, महानिरीक्षक कारागार
3. श्री राकेश भित्तल,
वरिष्ठ लेखा अधिकारी।
5. श्री जे0एस0 गिल,
सहायक जिला न्यायवादी।
6. श्रीमति नीलग नानी, अधीक्षक
7. श्री रामबीर, अधीक्षक
8. श्री लखबीर बराड,
अधीक्षक, जेल हैडक्वार्टर
9. श्री ललित कुमार, लेखा अधिकारी

संस्थाएँ :-

जेल विभाग के अधीन निम्नलिखित संस्थाएँ हैं :-

क.	केन्द्रीय जेल अम्बाला, हिसार। एवं हिसार II	03
ख	जिला जेल, रोहतक, करनाल, गुडगांव, भिवानी, सिरसा, जीन्द, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, रिवाड़ी, नारनौल, कैथल, यमुनानगर, फरीदाबाद, पलवल, पानीपत एवं झज्जर।	16
ग	जेल ट्रेनिंग स्कूल, करनाल	01
घ	जिला परीवीक्षा अधिकारी सिरसा, भिवानी, करनाल, गुडगांव, अम्बाला, जीन्द, रोहतक, हिसार।	08
	कुल जोड़	28

नई जेलों का निर्माणाधीन

जेल में बन्दियों की भीड़ को देखते हुये निम्न जेलों का निर्माण/भूमि अभिग्रहण निम्न प्रकार से है:-

1. पंचकुला जिला में नई जेल के निर्माण हेतु गांव बाढ तहसील कालका, जिला पंचकुला में 50 एकड़ भूमि चयन कर ली गई है। नई जेल बनाने के लिये भूमि अभिग्रहण करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।
2. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3747/50, दिनांक 31.1.2014 द्वारा उपायुक्त फतेहाबाद को नये जेल भवन के निर्माण हेतु 64 एकड़ 2 कनाल 19 मरला भूमि गांव ढांगर, तहसील व जिला फतेहाबाद में अभिग्रहण करने हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।
3. पानीपत में नई जिला जेल के निर्माण हेतु 47 एकड़ 6 मरला भूमि गांव सिवाह तहसील व जिला पानीपत में अभिग्रहण की जा चुकी है। इस जेल का निर्माण हरियाणा पुलिस हाउसिंग कोरपोरेशन पंचकुला द्वारा किया जा रहा है। सरकार से इस जेल के निर्माण के लिये 7439.00 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्त वर्ष 2016-17 में इस कार्य के लिये 3500-00 लाख रुपये की आवश्यकता होगी।
4. नई रिवाड़ी जेल बनाने के लिये गांव फिदडी, तहसील व जिला रिवाड़ी में 50 एकड़ 2 कनाल 12 मरला भूमि उपलब्ध है। नई जिला जेल निर्माण के लिये 4581.00 रुपये की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इस जेल का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। जेल का निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है और निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्त विभाग 2016-17 में इस कार्य हेतु 3500-00 लाख रुपये की आवश्यकता होगी।
5. नई मार्लन जेल डबवाली में 4 एकड़ भूमि में जेल बनाने की स्वीकृति 31/51/98-4 जेजे 11 दिनांक 12.11.2013 द्वारा प्राप्त हो चुकी है। अधिसूचना जारी करने का कार्य विचाराधीन है।
6. नई मेवात जेल 29 एकड़ 4 कनाल 3 मरला भूमि गांव सलाबा, तहसील नूड, जिला मेवात में उपलब्ध है। भवन के निर्माण हेतु, ड्राईंग तैयार करने के लिये कार्यालय के पत्र क्रमांक 12475-76, दिनांक 3.5.2013 द्वारा वास्तुकला विभाग को लिखा जा चुका है जो कि अग्नी विचाराधीन है तदोपरान्त इस जेल के निर्माण पर खर्च होने वाली राशि के लिये लोक निर्माण विभाग को रफ कास्ट एस्टीमेट

भिजवाने के लिये प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी। इस जेल का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है। वित्त वर्ष 2016-17 में इस जेल का निर्माण कार्य भी शुरू करवाया जायेगा।

7. नई जिला जेल पलवल के लिये भूमि अभिग्रहण हेतु, 65 एकड़ 15 मरला भूमि गांव पलवल तहसील व जिला पलवल में की जा चुकी है तथा भूमि अभिग्रहण की सैक्शन 4 एवं 6 की अधिसूचना सरकार के यादी क्रमांक 31/12/2010-4जेजे 11 दिनांक 1.4.2014 द्वारा जारी की जा चुकी है। भूमि के मालिकों द्वारा भूमि अभिग्रहण न करने बारे रिट पेटिशन नं० 18521 आफ 2014 व 2047 आफ 2015 माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर की है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 8/9/2014 को पारित आदेशों के तहत आगामी आदेशों तक स्टे दे दिया है तथा मामला अग्नी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशोपरांत ही इस जेल का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

भूमि स्थानांतरण

1. पुरानी जिला जेल महेन्द्रगढ़ की जमीन पुलिस विभाग को स्थानांतरण करने वाले विभाग द्वारा सरकार को लिखा जा चुका है मामला अग्नी विचाराधीन है।

3. सुधार तथा सुविधायें :-

वर्ष 2014-15 में जेलों में किए गए सुधार तथा सुविधाएं संतोषजनक रही। बन्दियों के साथ अच्छा तथा सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया गया जिसका उन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा।

क. पैरोल/फरलो :-

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बन्दियों को निजी तथा जरूरी कार्यों के लिए पैरोल/फरलो लेने के लिए देरी न हो तथा कष्ट न उठाना पड़े, इस प्रणाली में बहुत हद तक सुधार किया गया है। अब केवल पहली छट्टी के लिए ही पुलिस की रिपोर्ट ली जाती है। पैरोल/फरलो स्वीकृत करने की शक्तियां सरकार की नोटिफिकेशन दिनांक 30.7.2007 के अनुसार मण्डल आयुक्त एवं उपायुक्त को प्रदान कर दी गई थी। दिनांक 1.10.2012 को पैरोल एक्ट में संशोधन किया गया। कैदियों को ज्यादा सुविधा प्रदान करने के लिये पैरोल अधिनियम में दिनांक 21.2.2014 को भी संशोधन किया गया।

ख. समय पूर्व रिहाई :-

हरियाणा सरकार ने आजीवन कारावास बन्दियों की समय पूर्व रिहाई करने बारे नीति को अपने यादी क्रमांक 46/23/2000-4जेजे-11 दिनांक 12.04.02 द्वारा संशोधित किया था। इस नीति के अनुसार अनेक आजीवन कारावास बन्दियों के समय पूर्व रिहाई के केंसों पर उन द्वारा जेल में 10 वर्ष का मूलदण्ड काटना तथा कम से कम 4 वर्ष की छूट प्राप्त करने के पश्चात विचार किया जाता था। जिन बन्दियों द्वारा जघन्य/घिनौना अपराध किया तथा जिन बन्दियों की मृत्यु दण्ड की सजा को माननीय राष्ट्रपति महोदय/माननीय राज्यपाल द्वारा करुणा याचिका पर आजीवन कारावास में बदला गया है, के समय पूर्व रिहाई के केंसों पर उन द्वारा जेल में 14 वर्ष का मूलदण्ड काटने तथा कम से कम छः वर्ष की छूट प्राप्त करने के पश्चात विचार किया जाता था। हरियाणा सरकार ने आजीवन कारावास बन्दियों की समय पूर्व रिहाई करने बारे पुरानी नीति दिनांक 12.4.2002 को अपने यादी क्रमांक 36/135/91-1 जेजे-11 दिनांक 13.08.08 द्वारा नई नीति का निर्धारण किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा हरियाणा सरकार बनाम जगदीश की रिट पैटिशन में पारित आदेश 22.3.2010 जोकि क्रिमिनल अपील नंबर 566 आफ 2010 (Arising out of SLP) Crl. Mic. No. 6638 of 2009 में पारित को ध्यान में रखते हुये बन्दियों के समयपूर्व रिहाई के केंसिज का निर्णय लेने हेतु उनकी सजा की तिथि के समय से जो पालिसी लागू होती है, उस बन्दी का समयपूर्व रिहाई केस उस पालिसी के अनुसार निर्णय लिया जाए के आदेश पारित किये गये थे। यथानुसार कैलेण्डर वर्ष 2014 में 124 आजीवन कारावास बन्दियों को उनके अच्छे आचरण को देखते हुये सरकार की सम्बन्धित पालिसी अनुसार समय पूर्व रिहा किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने W.P.(Crl.) No. 48/2014 "Union of India Vs. V. Sittharan Murugan & Ors." में दिये गये आदेश दिनांक 9.7.2014 के अन्तर्गत ऐसी रिहाहियों पर रोक लगा दी गई है थी जो अब खुल गई हैं।

ग. कैदियों की बदली :-

कई कैदियों के रिश्तेदारों तथा मित्रों को मुलाकात करने में वित्तीय तथा सामाजिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था, इसको ध्यान में रखते हुए अब कैदियों को जहां तक सम्भव हो उनके घर के नजदीक की जेलों में रखा जाता है, ताकि उनके परिवार वाले तथा मित्रों को कैदियों से मिलने में कठिनाई ना हो।

घ. विडियों कॉन्फेंसिंग :-

19 जेलों के साथ विभिन्न न्यायालयों के साथ विडियों कॉन्फेंसिंग सुविधा चल रही है। बन्दियों की पेशी विडियों कॉन्फेंसिंग द्वारा भी करवाई गई है। जेल रिफॉर्मस कमेटी की सिफारिशों अनुसार दिनांक 15.1.2011 से बन्दियों के रिश्तेदारों जोकि राज्य की अन्य जेल में बन्द हैं, की मुलाकात आपस में विडियों कॉन्फेंसिंग सुविधा से करने की अनुमति दी जा चुकी है।

च. कैन्टीन :-

केन्द्रीय तथा जिला जेलों में बन्दियों के लिए कैन्टीन चालू है। बंदीगण वहां से उचित दामों पर प्रतिदिन काम में आने वाली वस्तुएं जैसे चीनी, चाय, गुड, घी, साबुन, तेल, बिस्कूट, घूप, दूध, अडरवीयर, बनियान, कोल्ड ड्रिंक, जूते, चप्पल, नमकीन, देसी घी, आचार, प्याज, दंत बुश, दंत पेस्ट, इत्यादि आदि खरीद सकते हैं। इस सुविधा से जेलों में अनधिकृत वस्तुओं पर नियन्त्रण रहा है और यह कैन्टीन जेल कैन्टीन मैनेजमेंट, नियम 1965 के तहत चल रही है। दिनांक 1/4/2015 से सभी जेलों में नये सौपटवेयर के साथ कैश लैस कैन्टीन की सुविधा प्रारम्भ करने हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। जेल कैन्टीन से वर्ष 2014-2015 में 45,59,843/- रुपये का लाभ हुआ, जो पैसा बन्दियों के कल्याण हेतु खर्च किया जाता है। पिछले वित्तीय वर्ष 2013-14 में जेल कैन्टीन से 35,03,8970/- का लाभ हुआ जोकि इस वर्ष कुल रुपये 10,55,973 के लाभ में वृद्धि हुई।

छ. बन्दी पंचायतें :-

भिन्न-2 कारागारों में बन्दियों द्वारा नियुक्त की गई पंचायतों ने राशन और खाने के वितरण में अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग दिया।

ज. छूट :-

जिन बन्दियों ने उत्कृष्ट कार्य किया है तथा जिनका आवरण संतोषजनक पाया गया उन्हें विशेष छूट दी गई।

झ. पंखे :-

बन्दियों को बैरकों में पंखें लगवा दिए हैं ताकि गर्मी के मौसम में उन्हें आराम मिल सके।

ण नल :-

कुल मिलाकर पीने के पानी का प्रबंध संतोषजनक रहा।

त गन्दे पानी का निकास :-

इसका प्रबंध संतोषजनक रहा। अम्बाला, हिसार तथा रोहतक में गन्दे पानी को सिंचाई के काम में लाने की व्यवस्था है।

थ फलश टाईप शौचालय :-

सभी जेलों पर फलश टाईप शौचालयों का प्रबंध किया गया है तथा गन्दे पानी का निकास जमीन के अन्दर करने का प्रबंध किया गया है।

द बन्दियों का मनोरंजन :-

बन्दियों के मनोरंजन के लिए जेलों में रेडियो/टेलिविजन सैट लगवा दिए गए हैं। जिनसे दूरदर्शन तथा अन्य कार्यक्रम देखे जा सकते हैं।

4. मौक्तिक तथा नैतिक शिक्षा का प्रबंध :-

मौक्तिक तथा नैतिक सुधार के लिए भिन्न-2 कारागारों में कई प्रकार के कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है। जैसे कि खेल, सामाजिक, नैतिक तथा धार्मिक विषयों पर व्याख्यान, प्रातः तथा सायं की प्रार्थना सभाएं, रेडियो प्रोग्राम इत्यादि हैं। प्रति दिन टेलिविजन शो भी दिखाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जेल अधिकारियों और पुलिस द्वारा 857 व्याख्यान, 70 ड्रामों तथा 179 रंगरंग कार्यक्रम भी आयोजित किये गये।

5. वार्डर गार्ड :- अब केवल वार्डर गार्ड का एक ही हैडक्वार्टर, जोकि मुख्य कार्यालय महानिदेशक कारागार हरियाणा में स्थित है। इस विभाग की स्वीकृति संख्या इस प्रकार है :-

मुख्य वार्डर	-	255
वार्डर	-	2368
मैटरन	-	47
महिला वार्डर	-	138

6. जेल निरीक्षण :-

माननीय उच्च पदाधिकारियों तथा गैर सरकारी जेल दर्शकों द्वारा विभिन्न जेलों के निरीक्षण का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

❖ स्वास्थ्य अधिकारी	667
❖ कार्यकारी अधिकारी	76
❖ जूडिशियल अधिकारी	1083
❖ अन्य	121

7 चौकसी से सम्बन्धित तथ्यों बारे :-

चौकसी विभाग की ओर से वर्ष 2014-15 में किसी अधिकारी/कर्मचारी को कोई सजा नहीं दी गई।

D.1. KURUKSHETRA	5832331	181810
D.1. KATHAL	518000	181810
D.1. JIND	821001	181810
D.1. SHIRSA	1003301	181810
D.1. BHUWAI	518000	181810
D.1. PANIPAT	5832331	181810
D.1. PATNA	518000	181810
D.1. SONPAT	5832331	181810
D.1. JHALAR	518000	181810
D.1. REWARI	5832331	181810
D.1. FARIDABAD	5832331	181810
D.1. KATHAL	518000	181810
D.1. BHUWAI	518000	181810
Total	5832331	181810

अध्याय -2

उद्योग

- वित्त वर्ष 2013-14 में कुल उत्पादन रुपये 52,18,404/- का हुआ एवं वित्त वर्ष 2014-15 में कुल उत्पादन रुपये 40,80,044/- का रहा जो पिछले वित्त वर्ष से 11,38,360/- कम रहा।
- निम्नलिखित विवरण रिपोर्ट में निम्नलिखित जेलों की कैण्टीन की बिक्री का ब्यौरा :-

JAIL CANTEEN YEAR 2014-15		
NAME OF JAIL	SALE	PROFIT
C.J. AMBALA	401336	401332
C.J. HISAR I	5184936	284798
C.J. HISSAR 11	244394	20735
D.J. KARNAL	8193562	555652
D.J. Yamuna Nagar	3289189	333553
D.J. Gurgaon	13716697	949352
D.J. KURUKSHETRA	1635689	81604
D.J. KAITHAL	1818470	219062
D.J. JIND	2196758	156406
D.J. SIRSA	1002307	105358
D.J. BHIWANI	1818470	219062
D.J. PANIPAT	-	-
D.J. PALWAL	-	-
D.J. SONEPAT	6755052	610773
D.J. JHAJJAR	2447816	229621
D.J. REWARI	12350	1255
D.J. FARIDABAD	648549	68000
DJ ROHTAK	7691210	444604
D.J. ARNAUL	854535	43932
Total	60314119	4559843

4. - कपड़ा :-

हरियाणा राज्य की जेलों में बन्दियों के लिए कपड़े की मांग को पूरा करने के लिए केन्द्रीय जेल अम्बाला में एक पावरलूम (हैवी ड्यूटी) स्थापित है जो कि संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है। जिला जेल भिवानी पर भी दो पावर लूम स्थापित हैं जिन पर बन्दियों हेतु कपड़ा बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मशीनों के डाउन/बस्ते/कार्यालय के लिए पर्दे/तौलिये/हस्पताल के लिए बिस्तरे भी बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार बन्दियों के लिए इन मशीनों से उपरोक्त वस्तुओं की मांग सचारू रूप से पूरी की जा रही है।

इस प्रकार जहां बन्दी अपनी सजा काटते हुए विभिन्न ट्रेडों में ट्रेनिंग लेकर पूरी तरह निपुण होकर जेल से बाहर जायेंगे, वहां ये आत्म निर्भर बनकर समाज के अन्दर एक अच्छा जीवन जी सकने योग्य बन जायेंगे। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

अध्याय -3

1. जेल ट्रेनिंग स्कूल करनाल :-

करनाल स्थित जेल ट्रेनिंग स्कूल में हरियाणा जेल विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों को ट्रेनिंग देने का प्रबन्ध है। कैलेण्डर वर्ष 2014 में इस स्कूल में 297 वार्डर तथा हैड वार्डरों, के साथ-2 सहायक अधीक्षक व उप सहायक अधीक्षक के स्तर तक के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस संस्था में जेल मैनुअल, कारागार प्रशासन, कानून, क्रिमिनोलोजी, साइकोलोजी, शारीरिक प्रशिक्षण, ड्रिल तथा कैदियों के सुधार तथा उद्योग-धन्धों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध है। प्रशिक्षण में कैदियों में सुधार के साथ-2 अभ्यर्थ और खतरनाक कैदियों के सुधार करने के उपायों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है।

हरियाणा राज्य के जेल अधिकारी तथा कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी अधिक कुशलता से निभा सकें, इसलिये उन्हें अन्य संस्थानों पर भी प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

2. स्त्रियों के लिए कारागार :-

हरियाणा में 1976 में स्त्रियों के लिए अलग कारागार नहीं थी। बंदी स्त्रियों को केन्द्रीय जेल अम्बाला में एक अलग भाग में रखा जाता था। यह प्रबन्ध पूरी तरह से संतोषजनक नहीं था। इसके लिए हिसार में अलग से भवन निर्माण किया गया और स्त्रियों की अलग देख-भाल के लिए अधीक्षक, उप अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, मैटरन व महिला प्रहरी भी नियुक्त हैं। परंतु यह प्रयास सफल नहीं हो पाया क्योंकि इस प्रकार सभी महिला बन्दी अपने परिवारों से काफी दूर हिसार में ही बन्द हो जाती थीं। एक ही अभियोग में अभियुक्त होना पर महिला बन्दी हिसार में होती थीं और उसके रिश्तेदार बन्दी हरियाणा की अलग अलग जेलों में होते थे। अदालतों में पेश करने के लिये लम्बा सफर तय करना पड़ता था। अब महिला बन्दीयों के वार्ड पलवल/पानीपत/रिवाड़ी, जिला जेल सोनीपत एवं केन्द्रीय जेल हिसार 1 को छोड़कर अन्य सभी जेलों में बना दिये गये हैं।

वर्ष 2014 में जेल में हुई भर्ती स्त्रियों की संख्या तथा उनकी/रिहाई का विवरण निम्न प्रकार से दिया गया है:-

1.1.2014 को स्त्री कैदियों की संख्या	सीधे/बदली द्वारा जेल में आये स्त्री बन्दीयों की संख्या	युक्त किए गए/बदली किए स्त्री बन्दीयों की संख्या	31.12.2014 को स्त्री बन्दीयों की संख्या
830	1707	1753	784

कैलेण्डर वर्ष 2014 में हरियाणा की सभी जेलों में सभी प्रकार की औरतों की दैनिक अधिकतम संख्या 870 रही है। बन्दीयों के कपड़ों की मरम्मत के लिए/कुछ और कार्य जैसे सिलाई/कढ़ाई आदि का भी प्रबन्ध किया गया।

3. छोटे बच्चों का खौरा :-

जो शिशु बन्दी औरतों के साथ 46 बच्चे 31.12.2014 को बन्द थे।

4. शारीरिक ट्रेनिंग तथा नैतिक ट्रेनिंग :-

दूसरे कार्यक्रमों के साथ-2 किशोर बन्दीयों की शारीरिक तथा नैतिक शिक्षा की ओर भी ध्यान रखा जाता है। उन्हें यौगिक अभ्यास करवाया जाता है। साथ ही वालीबाल, कबड्डी आदि क्रीडाओं का भी प्रबन्ध है। बन्दीयों को स्काउट, प्राथमिक चिकित्सा और आग बुझाने का काम भी सिखाया जाता है। इस प्रकार नैतिक विचारों पर जैसे सत्य, अहिंसा, परिश्रम, परस्पर सहयोग, आदि विषयों पर स्टाफ तथा दूसरे पब्लिक कार्यकर्ताओं द्वारा व्याख्यानो का प्रबन्ध किया जाता है।

5. मनोरंजन :-

किशोर बन्दीयों के मनोरंजन के लिए ड्रामों, हास्य नाटकों तथा रंग-रंग कार्यक्रमों में ड्रामेटिक क्लब द्वारा प्रबन्ध किया जाता है। उनके मनोरंजन के लिए टी0 वी0 का प्रबन्ध है। लोक सम्पर्क विभाग हरियाणा द्वारा चलचित्र और ड्रामों भी दिखाये जाते हैं। इससे उनके दैनिक विषयों पर ज्ञान बढ़ता है।

अध्याय -4

1. बंदी संख्या :-

हरियाणा की जेलों में बन्दियों की संख्या 31-12-2013 को 17644 थी और यह संख्या 31.12.2014 को 18,642 हो गई।

2. बन्दियों का प्रवेश तथा निकास :-

क. कैदियों की संख्या 01.01.2014 को 7,020 थी। वर्ष भर 5195 सिद्धदोषियों को न्यायालयों से सजा मिलने पर या दूसरे स्थानों से बदलकर हरियाणा राज्य की जेलों में आये और 4698 बन्दियों की रिहाई के बाद 31.12.2014 को कुल 7,517 सिद्धदोषी जेल में शेष रहे।

ख. बन्दियों की औसत दैनिक संख्या 01.01.2014 से 31.12.2014 तक 17,988 रही थी। सभी प्रकार के बन्दियों की अधिकतम संख्या 19,145 थी।

घ. नजरबंद :- पूरे वर्ष में कोई दोषी नजरबंद नहीं रहा।

3. धर्म, आयु तथा पिछले व्यवसाय :-

वर्ष के अन्त में सिद्ध दोषियों का धर्म, आयु तथा शिक्षा और पिछले व्यवसाय के अनुसार ब्यौरा इस प्रकार है :-

तालिका -1		
धर्म	बन्दियों की संख्या	प्रतिशत
ईसाई	61	00.32
मुसलमान	1607	08.63
हिन्दु तथा सिख	16815	90.20
बौद्ध तथा जैन	159	00.85
दूसरे अन्य धर्म		
कुल	18,642	100

तालिका-2		
अवस्था	बन्दियों की संख्या	प्रतिशत
16 साल से 18 तक		
18 से 30	9671	51.88
30 से 50	7223	38.74
50 से उपर	1748	09.38
कुल	18,642	100

4. शिक्षा :-

शिक्षा	कैदियों की संख्या	प्रतिशत
अशिक्षित	5104	27.37
शिक्षित	13558	72.63
कुल	18,642	100

व्यवसायिक शिक्षा प्रोग्राम- वोकेशनल सेंटर फरीदाबाद, करनाल, गुडगांव और सिरसा जेल में खुला हुआ है जिन में विभिन्न प्रकार के कोसिस जैसे कारपेंटर, बेकरी/कान्फैक्शरी, वैल्विंग टेक्नालजी, प्लम्बिंग, कटिंग, सिलाई, टीवी रिपेयर, लाईब्रेरी विज्ञान, योगा, कंप्यूटर डाटा इन्ट्राज आर्गरेटर इत्यादि।

दण्ड की अवधि	कैदियों की संख्या	प्रतिशत
मृत्यु दण्डित	6	00.08
आजीवन कारावास	3908	51.99
10 वर्ष से 13 वर्ष तक	1337	17.78
7 वर्ष से 9 वर्ष तक	1011	13.45
5 वर्ष से 6 वर्ष तक	466	06.19
2 वर्ष से 4 वर्ष	363	04.83
1 वर्ष से 2 वर्ष	232	03.08

6 महीने से कम	86	01.15
3 माह से 6 माह तक	41	00.55
3 महीने से कम	67	00.90
कुल जोड़	7,517	100

6. अग्रस्थ कैदी (हैबीच्यूल) वर्ष के अन्त में 7,517 कैदियों में 54 अग्रस्थ बंदी थे।
7. विचाराधीन बन्दी :- विचाराधीन बन्दीयों की संख्या 31.12.2014 को 10,627 थी। वर्ष भर में 50220 और विचाराधीन बन्दी प्रवेश हुए। इस वर्ष 49,723 बन्दीयों को छोड़ा गया ऐसे बन्दीयों की वर्ष के अन्त में संख्या 11124 थी।
8. बंदियों का स्वास्थ्य :- बन्दीयों का सामान्य स्वास्थ्य वर्ष भर में संतोषजनक रहा। बन्दीयों का स्वास्थ्य स्तर ठीक प्रकार से बनाए रखने के लिये विशेष प्रयास किये गये जैसे कि डी.डी.टी. के छिड़काव इत्यादि। नहाने के स्थान, शौचालय तथा रसोई घरों के आसपास की सफाई का विशेष ध्यान रखा गया।
- तपेदिक के बन्दीयों को केन्द्रीय जेल अम्बाला में स्पेशल वार्ड में रखा गया और उनकी चिकित्सा का उचित प्रबन्ध किया गया।

9. स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचना :-

18.879 बंदी वर्ष भर 1.1.2014 से 31.12.2014 तक मेडिकल सुविधा हेतु जेल से बाहर में अस्पताल गए।

जेल विभाग में स्वास्थ्य विभाग के स्वीकृत पदों जैसे डाक्टर/फार्मासिस्ट इत्यादि के पद भरे नहीं हुये थे। चिकित्सा अधिकारियों का मनोबल ऊँचा करने के लिये विभाग द्वारा चिकित्सा अधिकारी के पदों को अनुबन्ध आधार पर भरने हेतु प्रक्रिया शुरू की तथा सरकार ने नये डाक्टर एवं सेवानिवृत्त डाक्टरों को जेल विभाग में अनुबन्ध आधार पर नियुक्त करने के लिये एवं उनका मानदेय 30000+5000 conveyance charges से बढ़ाकर 45000+5000 conveyance कर दिया।

28.81	1101	कॉन्वेयन्स चार्ज	18.879
28.80	881	कॉन्वेयन्स चार्ज	18.879
28.80	281	कॉन्वेयन्स चार्ज	18.879
80.80	525	कॉन्वेयन्स चार्ज	18.879

अध्याय नं० 5

उद्धार प्रारंभ :-

सदाचार बन्दीयों को परिवीक्षा अधीन रिहाई के अधिनियम-1958

1. विभाग का कार्यक्रम :-

विभाग का कार्यभार भी वर्ष 2014-15 में श्री यशपाल सिंगल, आई0पी0एस0 व श्री परमिन्द्र राय, आई0पी0एस0 श्री के0के0 मिश्रा, आई0पी0एस अपर महानिदेशक कारागार हरियाणा, श्री जगजीत सिंह, महानिरीक्षक कारागार से श्री रमेश मित्तल, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, श्री जे0एस0 गिल, सहायक जिला न्यायाधीश, श्रीमति नीलम नागी, अधीक्षक, श्री रामबीर, अधीक्षक, श्री ललित कुमार, लेखा अधिकारी, श्री लखबीर बराड, अधीक्षक हेडक्वार्टर जेल मुख्यालय के पास रहा।

भाग-1

पंजाब अभ्यासिक दोषी, (नियन्त्रण एवं सुधार) अधिनियम-1958 के अन्तर्गत वर्ष भर में कोई व्यक्ति नहीं पकड़ा गया।

भाग-11

परिवीक्षा अधिनियम 1958 :-

इस अधिनियम के आकस्मिक दोषियों का खासतौर पर नौजवानों को बिना जेल आदि संस्था में रखे सुधार का प्रबन्ध है। परिवीक्षा अधिकारी दोषी के घर मामले की पृष्ठभूमि आदि की रिपोर्ट द्वारा न्यायालयों की सहायता करते हैं। इसके साथ ही परिवीक्षा अधीन व्यक्ति की देखभाल करते हैं जिससे उनको अपराधी जीवन से दूर रखा जा सकता है। यह अधिनियम अब पूर्ण हरियाणा राज्य में लागू है। इस अधिनियम के कार्य का ब्यौरा सारणी नं० 1 व 2 में संलग्न है।

सारणी नं० - 1

वर्ष भर में जिला परिवीक्षा अधिकारियों में 1415 सामाजिक जांच रिपोर्ट न्यायालयों में भेजी। कुल मिलाकर 20 व्यक्तियों को परिवीक्षण के लिए छोड़ा गया। निम्न जिला परिवीक्षा अधिकारियों की देख-भाल से 31.03.2014 को 97 परिवीक्षा अधीन व्यक्ति थे। इन से पहले छोड़े गए परिवीक्षा अधीन व्यक्ति शामिल हैं। परिवीक्षा अधिकारियों ने कुल मिलाकर 1587 निरीक्षण किए।

सारणी नं०- 2

कुल मिलाकर परिवीक्षा नियमों का 135 व्यक्तियों ने लाभ उठाया। एक व्यक्ति को परिवीक्षा अधिनियम धारा-3 के अधीन भर्त्सना करके छोड़ा गया, 28 व्यक्तियों को देखभाल के लिए परिवीक्षण पर छोड़ा गया। 108 व्यक्तियों को बिना देखभाल के शर्त लगाकर परिवीक्षा पर छोड़ा गया।

सामान्य

रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों तथा तथ्यों से स्पष्ट है कि कुल मिलाकर विभाग में प्रशासन का कार्य संतोषजनक रहा। बन्दिनों द्वारा तथा कर्मचारियों में अनुशासन का स्तर भी संतोषजनक रहा। बन्दिनों के कल्याण कार्य में भी प्रगति हुई।

2. वर्ष 2014-15 में विभिन्न उद्योगों से रुपये 40,80,044/- का उत्पादन हुआ।

आकड़ों के मध्यनजर निम्नलिखित सूचना निम्न प्रकार से है :-

क. 18 से 30 वर्ष की आयु के अपराधियों की संख्या 51.88 प्रतिशत हो गई।

ख. जेलों में प्रविष्ट होने वाले व्यक्तियों में पढ़े-लिखों की संख्या 72.63 प्रतिशत रही।

ग. एक वर्ष से 2 वर्ष तक सजा प्राप्त बन्दिनों संख्या 3.08 प्रतिशत हो गई क्योंकि थोड़ी अवधि वालों को विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता इसलिये यथा समय थोड़ी अवधि की सजा के स्थान पर प्रोबेशन आदि को प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

घ. 10 वर्ष से 13 वर्ष तक दण्डित बन्दिनों की संख्या 17.78 प्रतिशत रही।

इ. लगभग 81.71 प्रतिशत विचाराधीन बन्दी छोड़े गये। विचाराधीन बन्दिनों की अधिक संख्या तथा जेलों में उपलब्ध स्थान को देखते हुए जमानत प्रावधानों पर सरकार द्वारा पुनः विचार की आवश्यकता है। जिससे लघु अपराध में विचाराधीन बन्दिनों को जमानत पर न्यायालय द्वारा छोड़ा जा सके जोकि जेल की जनसंख्या को भी सीमित रखने में सहायक होगा।

बन्दिनों की शिक्षा, पुनर्वास एवं समाज में पुनर्स्थापन बारे

माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 355 आफ 2014 Kaushal V/S State of Haryana में दिनांक 24.3.2014 को पारित आदेशों की पालना में बन्दिनों को शिक्षा के सम्बन्ध में हरियाणा की सभी जेलों में, जिला जेल रिवाड़ी, पानीपत व पलवल को छोड़कर, राष्ट्रीय खुला विद्यालय, संस्थान व इन्दिरा गांधी ओपन विश्वविद्यालय स्थापित है जहां बन्दीगण दसवीं, 10 जमा दो तथा अन्य उच्चतर शिक्षा प्राप्त करते हैं ताकि रिहाई के बाद बन्दिनों को रोजगार के अवसर मिल सके।

बन्दिनों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु तकनीकी विभाग की सहायता से पलवल पानीपत व रिवाड़ी को छोड़कर राज्य की सभी जेलों में पोलटेक्निक सेंटर स्थापित किये हुये हैं जहां बन्दीगण कम्प्यूटर टेनिंग, मोटर रिपेयर एवं बिजली और घरेलू उपकरणों के यंत्र रिपेयर करने व सिलाई कढ़ाई की ट्रेड्स में प्रशिक्षण दिया जाता है।

बन्दिनों के कल्याणार्थ

1. सरकार के पत्र यादी क्रमांक 31/43/2008/जेजे 11 दिनांक 21.10.2011 द्वारा बन्दिनों के कल्याण के लिये बन्दिनों के लिये दूरभाष सुविधा का हेतु एक करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। यह सुविधा बन्दिनों को उनके परिवार जनों के साथ सुख दुख सांझा करने के लिये दी गई है। अतः बन्दिनों के कल्याण हेतु दूरभाष सुविधा का शुभारम्भ किया गया। इस सुविधा से बन्दिनों के परिजनों के उनके खर्च में कटौती एवं लम्बी दूरी तय करने के समय को बचाया जा सकेगा।

2. जिला जेल करनाल के लिये ब्रेड बन्द बनाने के लिये बेकरी यूनिट स्थापित करने की अनुमति विभाग करनाल जेल को दी गई।

3. बन्दिनों को उनकी कार्य कुशलता एवं योग्यता के अनुसार मुश्किल लगाई जाती है और बन्दिनों को मिलने वाली वेजिज को सीधे तौर पर राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये उनके निजी खातों में राशि जमा करवा दी जाती है। दिनांक 31.3.2014 तक सभी बन्दिनों को वेजिस दी जा चुकी है। बन्दिनों की वेजिस की वर्तमान दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव भी सरकार के पास विचाराधीन है।

4. बन्दिनों के कल्याण हेतु बेहतर सुविधा वाले आधुनिक सुविधाओं से लैस मुलाकात कक्ष पलवल/रिवाड़ी एवं पानीपत को छोड़कर अन्य सभी जेलों पर बनाने हेतु स्वीकृति कुल रुपये 4 करोड़ 70 लाख 70 हजार सरकार के यादी क्रमांक 31/4/13/4 जेजे 11 दिनांक 18.12.2013 द्वारा प्राप्त हो चुकी है इस समय लगभग सभी जेलों में आधुनिक सुविधाओं से लैस मुलाकात कक्ष स्थापित किये जा चुके हैं।

5. सरकार से अनुमोदन उपरान्त जेलों में बन्दिनों की भलाई एवं उनके लिये व्यवसाय स्थापित करने के लिये Public Private Partnership Project शुरू किये गये जिसमें सरकार का कोई व्यय नहीं होगा इस योजना का सरकार के यादी क्रमांक 31/77/7-4 न 4 जेजे 11 दिनांक 9.12.2013 अनुमोदन प्राप्त हुआ है। इस समय कुछ जेलों में यह सुविधा आरम्भ हो चुकी है।

स्टाफ के कल्याणार्थ

- सरकार ने कर्मचारियों का नैतिक मनोबल बनाये रखने हेतु सभी कार्यकारी स्टाफ का जोखिम भत्ता पुलिस विभाग की तर्ज पर 5000/- प्रतिमास मिल रहा है।
- विभाग में इस समय अनुबंध आधार पर नये डाक्टर एवं सेवानिवृत्त डाक्टरों को नियुक्त करने के लिये एवं उनका मानदेय 30000 + 5000 conveyance charges से बढ़ाकर 45000 + 5000 conveyance कर दिया गया है।
- विभाग के वार्डर स्टाफ के कर्मचारियों का हैडक्वार्टर कार्यालय महानिदेशक कारागार हरियाणा के कार्यालय में स्थापित कर दिया गया है ताकि कर्मचारियों को कम से कम समस्या का सामना करना पड़े तथा प्रशासनिक सुविधा भी हो।
- विभाग में रिक्त पड़े सभी पदों को भरने हेतु सभी सम्बन्धित को मांग पत्र (Requisition) भेजी जा चुकी है और इन रिक्तियों को भरने के सकारात्मक प्रयत्न किये जा रहे हैं।

परमेश्वर राय, आई०पी०एस०,
महानिदेशक कारागार, हरियाणा।

क. सं.	विवरण	1	2	3	4	5 क	5 ख	6	7	8	9	10	11	12
1.	अभिलेख													
2.	हिसार													
3.	रोहतक													
4.	करनाल													
5.	फिरसा													
6.	जीन्द													
7.	गुड़गांव													
8.	मिर्जापुर													
कुल														
1415														
33														
99														
20														
17														
2														
0														
20														
97														
1587														

परिवर्द्धन अपराध अधिनियम 1958 के अधीन परिवर्द्धन अधिनियम 2014-15 के दौरान निरीक्षण में रखे गये परिवर्द्धन अधिनियम की संख्या

सारणी-1

सारणी-2

परिवीक्षा अपराधी अधिनियम 1958 के अधीन व्यक्तियों की रिहाई वार्षिक विवरण पत्र 2014-15 (2014-15)

क्र. स.	जिला	परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के अधीन रिहाई या निर्यात करने के छोड़े गये	परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन रिहाई पर बिना निरीक्षण के	परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(3) के अधीन निरीक्षण पर रिहा	कुल व्यक्ति जो परिवीक्षा अधिनियम के अनुसार रिहा किये गये
1	2	3	4	5	6
1.	अम्बाला				
2.	हिसार	0	55	1	56
3.	रोहतक		1	10	11
4.	करनाल				
5.	सिरसा		3	3	6
6.	जीन्द				
7.	गुड़गांव		36	14	50
8.	गिवानी	1	13		13
	कुल	1	108	28	135